

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-::कार्यालय आदेश::-

श्रीमती यशोदा, मेरिट नं. 858, आरपीएससी 2015 से चयनित अभ्यर्थी का पदस्थापन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-1/नियुक्ति-अंग्रेजी/पीएससी-15/2017 दिनांक 10.06.2017 द्वारा व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर राउमावि रानोली, टोंक किया गया था।

उक्त आदेश की पालना में दिनांक 24.06.2017 को इनके द्वारा व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर राउमावि रानोली टोंक में कार्यग्रहण कर लिया गया।

श्रीमती यशोदा ने प्रार्थना पत्र दिनांक 04.02.2019 के द्वारा स्वैच्छा से व्याख्याता अंग्रेजी के पद से त्याग पत्र प्रस्तुत किया है। अतः श्रीमती यशोदा देवी के त्याग पत्र को एतद् द्वारा इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि वर्तमान धारित पद से कार्यमुक्त होने के पश्चात इनका इस विभाग में किसी प्रकार का पुर्नग्रहणाधिकार (LIEN) नहीं रहेगा।



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-1/त्याग पत्र/अंग्रेजी-संस्कृत/2018

दिनांक: 06/03/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बावत :-

1. संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा, अजमेर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय, टोंक
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) ब्लॉक, टोंक
4. प्रधानाचार्य, राउमावि रानोली, टोंक
5. संबंधित कार्मिक
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर/वरिष्ठता अनुभाग कार्यालय हाजा
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Order


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक स्कूल शिक्षा (अंग्रेजी) वेतन श्रृंखला पी.वी. 2 (9300-34800) ग्रेड पे-4200/रु के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-1(2)/एफडी/नियम/2008 दिनांक 13.03.06 एवं एफ 12(6) एफडी/नियम/05 दिनांक 13.03.06 के प्रावधानान्तर्गत निम्नांकित अभ्यर्थियों को दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किया गया था। इन अभ्यर्थियों की परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएँ (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 22 एवं अनुसूची 5 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 07 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पी.वी. -2 (9300-34800 एवं ग्रेड पे-4200/रु) एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की स्वीकृती एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इनको कॉलम सं. 7 में अंकित तिथि से राजस्थान सेवा नियम 1970 के नियम-31 के अन्तर्गत प्राध्यापक स्कूल शिक्षा अंग्रेजी के पद पर स्थाई किया जाता है :-

क्रसं	मेरीट क्रमांक	वर्ग	नाम व्या. (सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती) एवं पदस्थापन स्थान (राउमावि)	जन्मतिथि	कार्य ग्रहण तिथि	नियमित वेतन श्रृंखला / स्थाईकरण तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	आर 34	ओवीसी	बलजिन्द्र सिंह, मलकाना कलां, श्रीगंगानगर	07.05.1975	02.01.2007	02.01.2009
2	आर 14	सामान्य महिला	ज्याति जैन, बलिका गोगुन्दा, उदयपुर	11.09.1981	02.01.2007	02.01.2009
3	85	GE WE	गरिमा भारद्वाज बालिका नगरा भजनगंज, अजमेर (वर्तमान प्रधानाचार्य राउमावि मायला, मसूदा, अजमेर)	01.08.1979	02.01.2007	02.01.2009
4	आर 15	सामान्य महिला	संगीता चांदना बालिका मालवीय नगर, जयपुर	18.10.1971	02.01.2007	02.01.2009
5	109	एस टी	सत्य प्रकाश मीना परीता, करौली (वर्तमान प्रधानाचार्य राउमावि लांगच, चित्तौड़गढ़)	28.01.1979	19.12.2006	19.12.2008
6	127	ओवीसी	राकेश कुमार गढवाल श्री कल्याण राउमावि सीकर	14.12.1978	02.01.2007	02.01.2009
7	141	एस सी डब्लू ई	सुनीता मेहरा बालिका सुलतानपुर, कोटा (वर्तमान प्रधानाचार्य राउमावि मदनपुरा, सुलतानपुर, कोटा)	12.10.1977	22.12.2006	22.12.2008
8	51	-	कीर्ति वाजपेयी बालिका भीनमाल, जालोर	15.09.1976	16.12.2006	16.12.2008

C-1 Confirmation Eng



6/2/19

9	129	ओवीसी	अरविन्द चाहर बुडाना, झुन्झुनूं	24.10.1981	02.01.2007	02.01.2009
---	-----	-------	-----------------------------------	------------	------------	------------

(W/50)

(नथमल डिडेल)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी/स्थाईकरण/पीएससी-06/2017 दिनांक:- 06/03/2019

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. उप शासन सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय
6. संबंधित संस्था प्रधान,
7. संबंधित कार्मिक,
8. निजी/रक्षित पत्रावली

(संयुक्त निदेशक (कार्मिक))
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर